डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पंत्राक : एफिल/ 541 /2007
दिनांक : 19/01/ 2007

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
श्रीमती गेंदा देवी महाविद्यालय,
अल्लीपुर, बरबारा,
एटा।

महोदय/महोदया,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या ई0स0 2480/जी0एस0 दिनांक 30-11-2006 द्वारा सूचित किया गया है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत श्रीमती गेंदा देवी महाविद्यालय, अल्लीपुर, बरबारा, एटा को बी0एड0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01-07-2006 से उक्त पत्र में उल्लिखित तीन शर्तो के अधीन 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

कुलाधिपति सचिवालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र कुलाधिपति सचिवालय के उक्त पत्र दिनांक 30-11-2006 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तो को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा :-

1- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92) /2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।

2- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी ।

क्रमंशः.....2

डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

3- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

यदि प्रबन्धतंत्र कुलाधिपति सचिवालय के पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा

2- निजी सचिव कुलपति

3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल,
जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा ।

कुलसचिव